



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 चैत्र, 1947 (श०)

संख्या - 173 राँची, मंगलवार,

15 अप्रैल, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

7 मार्च, 2025

आदेश सं०-5/आरोप-1-130/2017 का०-1390--श्रीमती सुषमा लकड़ा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-257/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरहू, खूँटी के विरुद्ध मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्रांक-2702523, दिनांक 05.07.2017 के माध्यम से परिवादी श्री दिलीप मिश्रा, जिला अध्यक्ष, झारखण्ड विकास मोर्चा, खूँटी का परिवाद उपलब्ध कराया गया ।

उक्त परिवाद पत्र में श्रीमती लकड़ा के विरुद्ध मनरेगा के योजना में बगैर कार्य कराये पैसे का निकासी करने, वित्तीय घोटाला, वित्तीय अनियमितताएँ एवं बगैर पैसे लिये कोई कार्य नहीं करने आदि आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों की जाँचकर जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, खूँटी से विभागीय पत्रांक-10403, दिनांक 06.10.2017 एवं स्मार पत्रों द्वारा अनुरोध किया गया ।

उक्त के आलोक में उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक-1562, दिनांक 27.12.2024 द्वारा निदेशक, डी०आर०डी०ए०, खूँटी की अध्यक्षता में जाँच दल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-1311/वि०, दिनांक 13.07.2023 की प्रति उपलब्ध करायी गयी ।

जाँच दल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि सभी योजनाओं के औचक निरीक्षण के क्रम में योजनाओं का भौतिक सत्यापन किया गया तथा योजना स्थल पर क्रियान्वित योजना पाई गई। शिकायत के अनुरूप किसी भी योजना में बगैर कार्य कराए राशि के भुगतान अथवा निकासी का मामला प्रकाश में नहीं आया। साथ ही किसी भी लाभुक के द्वारा योजना के एवज में राशि की माँग किए जाने की शिकायत नहीं की गई है ।

श्रीमती लकड़ा के विरुद्ध परिवार पत्र में लगाये गये आरोप एवं उपायुक्त, खूँटी से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई ।

अतः समीक्षोपरांत, उपायुक्त, खूँटी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य से सहमत होते हुए श्रीमती सुषमा लकड़ा, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरहू, खूँटी के विरुद्ध प्राप्त परिवार को संचिकास्त किया जाता है ।

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
